

Disposal गुनाह

168

2

22/11/04

339

श्री अनिल सिन्हा, प्रमाण-पत्र पदाधिकारी, धनबाद का न्यायालय ।

*[Signature]*

प्रमाणपत्रवाद सं० 299/2000-2001

मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक, सिन्धो ब्रांच

60

ने श्री जयराम कर्मकार पिता मदन कर्मकार  
ग्राम सिमवाहर पो - धरबा थाना - बलिआपुर - जिला -  
धनबाद - - - - से 4031=00 रुपया को वसूलो हेतु अध्याचन  
पत्र दाखल किया है । इसमें संलग्न विवरणो के अवलोकन से स्पष्ट होता है  
कि यह भाग वसूलो योग्य है । इसको वसूलो विधि वर्णित नहीं है । लोक  
भाग वसूलो अधिनियम को धारा 5 के अंतर्गत में संतुष्ट हैं । इसे पंजी 10  
में दर्ज करें । अध्याचो पदाधिकारी ने कोर्ट फीस - 554=00 - -  
रुपये का दाखल किया है ।

धारा 7 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देनदार के विरुद्ध सूचना  
जारी करें । अभिष्ट दिनांक ..... को प्रस्तुत करें ।

47  
1.11.04

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी,  
धनबाद ।

*[Signature]*  
अध्याचन को पत्र चलाया है कि राज्य-7 का  
राजिमा-अध्याचन है।  
युवा सरकार नोडिशा विभाग के  
द्वारा 23-5 को रखे ।

*[Signature]*  
25/11/04

1-6-06  
अधिकारी को सूचना कि,  
केंद्र के विरुद्ध युवा:  
22/11/04 विरुद्ध करें ।  
दिनांक 1.7.04 को रखें ।

Pu  
1/11/04

अध्याचन पदाधिकारी,  
देवदाट इलाका अध्याचन अधिकारी का नोडिशा विभाग,  
देवदाट नोडिशा विभाग को सूचना कि, युवा सरकार नोडिशा विभाग के  
द्वारा 23-5 को रखे ।  
12/8/14  
अंतर्गत

13-9-19 अंमिलेख उपस्थापित । देनदार द्वारा राशि  
जमा नहीं किया गया है । अलिखाची  
राशि जमा करने हेतु चेतावनी नोटिस निर्गत  
करें अंमिलेख दिनांक 13-9-19 का रखें ।

प्रमाण पत्र पदाब  
अलिखापुर

13-9-19- अंमिलेख उपस्थापित ।  
देनदार द्वारा अलिखाची राशि 4031=00  
चार हजार इकतीस रुपये दिनांक 13-9-19  
को भारतीय स्टेट बैंक सिन्धी में जमा किया,  
जिसेका पार्वती स्थीद भूल में जमा किया एवं  
बैंक द्वारा देनदार के विरुद्ध बाद सं. 299/2000-2001  
कोई बाकी नहीं है । बैंक द्वारा No Objection प्रमाण  
पत्र प्राप्त है ।

का  
के विर  
निर्गत  
पट्टा

अतः अंमिलेख की कार्यवाही  
(जमा) - करें ।  
प्रमाण पत्र पदाब  
अलिखापुर